मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक एफ 19–63/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक, 22/05/2018

प्रति,

डा. शैलेन्द्र पाटीदार,
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.

विषयः– **डा. शैलेन्द्र पाटीदार,चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना।**

डा. शैलेन्द्र पाटीदार, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक एफ–19–63/2018/17 मेडि–1 दिनांक 16.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है। जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है,मध्य प्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9)के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमाक एफ 19–63/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 22/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।

2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला मंदसौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. शैलेन्द्र पाटीदार चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक एफ 19–65/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 22/05/2018

प्रति,

डा. अंकुर जैन,
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.

विषयः– **डा. अंकुर जैन,,चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना।**

डा. अंकुर जैन,, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश कमांक एफ–19–65/2018/17 मेडि–1 दिनांक 16.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है। जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है,मध्य प्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9)के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

....निरंतर...2

पृ0 कमाक एफ 19—65/2018/17 मेडि—1 भोपाल,दिनांक 22/05/2018

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1— आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।

2— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला मंदसौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा.अंकुर जैन,चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमाक एफ 19–62/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 22/05/2018

प्रति,

डा. हरीश कुमार गुप्ता,
चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,मनासा, जिला नीमच,म.प्र.

विषयः– **डा.हरीश कुमार गुप्ता,चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र, मनासा, जिला नीमच के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना।**

डा. हरीश कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र, मनासा,जिला नीमच आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक एफ–19–62/2018/17 मेडि–1 दिनांक 16.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है। जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है,मध्य प्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9)के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमाक एफ 19–62/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 22/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।

2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला नीमच की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. हरीश कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र,मनासा, जिला नीमच,को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक एफ 19–09/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 22/05/2018

प्रति,

डा. विशाल वाल्मिकी,
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.

विषयः– **डा. विशाल वाल्मिकी,चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर,म.प्र.के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना।**

डा. विशाल वाल्मिकी, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ,जिला मंदसौर,म.प्र.आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक एफ–19–09/2018/17 मेडि–1 दिनांक 16.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है। जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है,मध्य प्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9)के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमाक एफ 19-09/2018/17 मेडि-1 भोपाल,दिनांक 22/05/2018

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।

2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला मंदसौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. विशाल वाल्मिकी, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल गरोठ,जिला मंदसौर,म.प्र.आपके को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

कमाक एफ 19–07/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 17/05/2018

प्रति,

डा. राजू सिंह राठौर,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय शाजापुर,म.प्र.

विषयः–डा. राजू सिंह राठौर,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय शाजापुर, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. राजू सिंह राठौर,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय शाजापुर,,आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश कमांक एफ–19–07/2018/17 मेडि–1 दिनांक 28.03.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

012

पृ0 कमाक एफ 19–07/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 17/05/2018
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऍ,म.प्र. ।
2– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला शाजापुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. राजू सिंह राठौर,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय शाजापुर,,को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाऍ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

012

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

कमाक एफ 19–52/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रति,

डा. मनोज गुप्ता,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, देवास म.प्र.

विषयः– डा. मनोज गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. मनोज गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास, आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश कमांक एफ–19–52/2018/17 मेडि–1 दिनांक 28.03.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमाक एफ 19–52/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऍं,म.प्र. ।

2– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय देवास की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. मनोज गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाऍं ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

कमाक एफ 19–51/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रति,

डा. वीणा विश्नार,
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल,कन्नोद,जिला, देवास म.प्र.

विषयः– डा. वीणा विश्नार, चिकित्सा अधिकारी, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. वीणा विश्नार,चिकित्सा अधिकारी,सिविल अस्पताल,कन्नोद,जिला, देवास म.प्र.आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश कमांक एफ–19–51/2018/17 मेडि–1 दिनांक 28.03.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल,दिनांक 15/05/2018

पृ0 कमाक एफ 19–51/2018/17 मेडि–1
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र. ।
2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीकार जिला देवास की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. डा. वीणा विश्नार,चिकित्सा अधिकारी,सिविल अस्पताल,कन्नोद,जिला, देवास को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाऐं ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमाक एफ 19–60/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रति,

डा. श्रीमंती रक्षा शेण्डे,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, रतलाम,म.प्र.

विषयः– डा. श्रीमती रक्षा शेण्डे,चिकित्सा अधिकारी, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. श्रीमती रक्षा शेण्डे,,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय रतलाम, आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक एफ–19–60/2018/17 मेडि–1 दिनांक 10.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमाक एफ 19–60/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।

2– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय रतलाम की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. श्रीमती रक्षा शेण्डे,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय रतलाम को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

कमाक एफ 19–48/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रति,

डा. रजनी पोरवाल,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, देवास म.प्र.

विषयः– डा. रजनी पोरवाल, चिकित्सा अधिकारी, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. रजनी पोरवाल,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास, आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश कमांक एफ–19–48/2018/17 मेडि–1 दिनांक 28.03.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूंध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमाक एफ 19–48/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।

2– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय देवास की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. रजनी पोरवाल, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमाक एफ 19–61/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रति,

डा. श्रीमती रितु चतुर्वेदी,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, रतलाम,म.प्र.

विषयः– डा. श्रीमती रितु चतुर्वेदी,चिकित्सा अधिकारी, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. श्रीमती रितु चतुर्वेदी,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय रतलाम, आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक एफ–19–61/2018/17 मेडि–1 दिनांक 10.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमाक एफ 19–61/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऍ,म.प्र. ।

2– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय रतलाम की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. श्रीमती रितु चतुर्वेदी,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय रतलाम को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाऍ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमाक एफ 19–57/2018/17 मेडि–1

भोपाल,दिनांक 11 /05/2018

प्रति,

डा. प्रिया वर्मा,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, मंदसौर,म.प्र.

विषयः–डा. प्रिया वर्मा,चिकित्सा अधिकारी,के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

———

डा. प्रिया वर्मा,,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मंदसौर, आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश कमांक एफ–19–57/2018/17 मेडि–1 दिनांक 10.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल,दिनांक 11 /05/2018

पृ0 क्रमाक एफ 19–57/2018/17 मेडि–1
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।
2– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मंदसौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. प्रिया वर्मा,चिकित्सा अधिकारी ,जिला चिकित्सालय मंदसौर को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमाक एफ 19–66/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 11 /05/2018

प्रति,

डा. नवीन गुप्ता,
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल,भानपुरा जिला मंदसौर,म.प्र.

विषयः–डा. नवीन गुप्ता,चिकित्सा अधिकारी,के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. नवीन गुप्ता,चिकित्सा अधिकारी,आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक एफ–19–66/2018/17 मेडि–1 दिनांक 16.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल,दिनांक 11 /05/2018

पृ0 क्रमाक एफ 19–66/2018/17 मेडि–1
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।
2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. नवीन गुप्ता,चिकित्सा अधिकारी ,सिविल अस्पताल, भानपुरा जिला मंदसौर को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमाक एफ 19–58/2018/17 मेडि–1 भोपाल,दिनांक 11/05/2018

प्रति,

डा. एंजलिना भाटी,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, मंदसौर,म.प्र.

विषयः– डा. एंजलिना भाटी,चिकित्सा अधिकारी,के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा. प्रिया .वर्मा,,चिकित्सा अधिकारी,जिला चिकित्सालय मंदसौर, आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक एफ–19–58/2018/17 मेडि–1 दिनांक 10.04.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल,दिनांक 11/05/2018

पृ0 क्रमाक एफ 19–58/2018/17 मेडि–1
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।
2– सिविल संर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मंदसौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. डा. एंजलिना भाटी,,चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, मंदसौर को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

कमाक एफ 19–50/2018/17 मेडि–1

भोपाल,दिनांक 11 /05/2018

प्रति,

डा. उत्सव शर्मा,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, उज्जैन,म.प्र.

विषयः– डा. उत्सव शर्मा,चिकित्सा अधिकारी, के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जॉच के प्रकरण में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना ।

डा.उत्सव शर्मा,,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय उज्जैन, आपके विरूध्द कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश कमांक एफ–19–50/2018/17 मेडि–1 दिनांक 28.03.2018 व्दारा विभागीय जॉच संस्थित की गई थी। विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जॉच अधिकारी ने आपके विरूध्द लगाये गये आरोपों को सिध्द पाया है।जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरूध्द आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपको मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियम 10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करनेका अनंतिम निर्णय लिया है। आपके विरूध्द विभागीय जॉच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि नियत समयावधि में आपके व्दारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966 के नियंम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने का अंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा जावेगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल,दिनांक 11 /05/2018

पृ0 कमाक एफ 19–58/2018/17 मेडि–1
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. ।
2– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय उज्जैन की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डा. उत्सव शर्मा,,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय उज्जैन को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ ।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग